



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-150 राँची, सोमवार, 3 फाल्गुन, 1942 (श०)
22 फरवरी, 2021 (ई०)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

पत्रांक :- 14/अनु0 01-05/2012 का० 963--

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/02/2021

विषय :- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित विभागीय परिपत्र सं0-10167, दिनांक-01.12.2015 की कंडिका 3 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार लापता सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा। तदनुसार ऐसे मामलों से सम्बन्धित प्राप्त दावों पर विचार नहीं किये जा सकने के फलस्वरूप लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उक्त परिपत्र के प्रभाव एवं विस्तार खंड तथा कंडिका (15)(ज) के द्वारा इस योजना को राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/प्राधिकारों/निगमों/परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं पर पूर्ण रूप से लागू किया गया है। लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों /प्राधिकारों/निगमों/परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं में सेवा शर्तें तथा सेवा की प्रकृति भिन्न होने के परिप्रेक्ष्य में अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु उक्त परिपत्र में उल्लिखित कतिपय शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने में हो रही कठिनाई के कारण यह मामला भी सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. उपर्युक्त विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(1) लापता सरकारी सेवकों के मामले में भी, निम्नांकित शर्तों के अधीन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता अनुमान्य किया जाए:-

(क) सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के पश्चात् सक्षम न्यायालय के द्वारा "Civil Death" घोषित कर दिए जाने के उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्ते कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन सरकारी सेवक के लापता होने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा "Civil Death" की घोषणा के उपरान्त दो वर्षों के अधीन समर्पित किया गया हो।

(ख) अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह, रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी।

(ग) लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके कर्तव्य की अवधि के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध झारखण्ड सेवा संहिता

नियम-76 के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

- (2) परिपत्र सं0-10167, दिनांक-01.12.2015 के प्रभाव एवं विस्तार खंड एवं कंडिका (15)(अ) को विलोपित किया जाता है।

विभागीय परिपत्र सं0-10167, दिनांक-01.12.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
